आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के टिप्पणी तारीख के साथ

सारण समाहरणालय, छपरा।
न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।
जिला विधि प्रशाखा
आपूर्त्ति अपील सं0 91/2011
राजेन्द्र राम बनाम राज्य एवं अन्य
आदेश

27/1/2013

यह अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी, सदर, के जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति निरस्तीकरण आदेश ज्ञापांक 1414 दिनांक 29/10/2011 के विरूद्ध समर्पित किया गया है।

अपीलकर्त्ता का पक्ष यह है कि चावल उत्सव के दौरान उसकी दुकान की जाँच दिनांक 8/9/2011 को प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी द्वारा की गयी थी और उसके बाद 20 किलोग्राम प्रति कार्डधारी से कम मात्रा में उपभोक्ताओं को चावल दिए जाने तथा किरासन तेल का अनियमित वितरण करने के आरोपों में उससे कारणपृच्छा की गयी थी। अंततः इस बात पर विचार किए बगैर कि चावल महोत्सव के दौरान कतिपय उपभोक्ताओं के विरूद्ध अपीलकर्त्ता ने एकमा थाना कांड सं0 108/11 दिनांक 7/9/2011 दर्ज कराया था, प्रश्नगत आदेश पारित कर दिया गया, जो विधि के प्रतिकूल और तथ्य की अनदेखी है।

राज्य का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक ने स्पष्ट किया कि आवेदक अपीलकर्त्ता के विरूद्ध चावल उत्सव के पूर्व से ही कई गंभीर अनियमितताओं के आरोप मिले थे। बड़ी संख्या में उपभोक्ता ने लिखित बयान देकर अपीलकर्त्ता के विरूद्ध अनियमित वितरण करने, उपभोक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करने, जबरन कूपन रख लेने के आरोप लगाए हैं। यहाँ तक कि ग्राम पंचायत के मुखिया, जो स्वयं ही अनुसूचित जाति से आते हैं, ने भी अपीलकर्त्ता के विरूद्ध लिखित रूप से अनुज्ञप्ति रद्द करने और उससे सम्बद्ध उपभोक्ताओं को अन्य प्रतिष्ठानों से सम्बद्ध करने की अनुशंसा की है।

दोनों पक्षों को सुना तथा मूल अभिलेख का अवलोकन किया। मूल अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता के विरूद्ध चावल उत्सव के पूर्व ही दुकान बंद रखने के आरोपों के कारण कारणपृच्छा की गयी थी। वस्तुतः प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी द्वारा उसके प्रतिष्ठान की जाँच दो बार दिनांक 5/7/2011 और 6/7/2011 को की थी और दोनों ही दिन बंद पायी गयी थी। तद्नुसार उन्हें कारणपृच्छा की गयी थी और यह कार्रवाई चल ही रही थी कि पुनः चावल उत्सव जाँच के दौरान अपीलकर्त्ता के विरूद्ध 20 किलोग्राम के स्थान पर मात्र 18 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति उपभोक्ता दिए जाने तथा कूपन फाड़ लेने एवं अनियमित रूप से केरासन तेल वितरण के आरोप लगाए गए। प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में उपभोक्ता के विरूद्ध पूर्व के आरोपों का उल्लेख है। साथ ही चावल उत्सव के दौरान समर्पित जाँच प्रतिवेदन में कई उपभोक्ताओं के बयान भी हैं। ग्राम पंचायत के मुखिया ने दुबारा लिखित रूप से अपीलकर्त्ता के विरूद्ध आरोपों की पुष्टि की

27/1/13

है। साथ ही तीन दर्जन से अधिक उपभोक्ताओं ने भी अपीलकर्त्ता के विरुद्ध अपना साक्ष्य रखा है।

अपीलकर्त्ता का लिखित पक्ष यह है कि चावल उत्सव के दौरान उससे कुछ लोगों ने 20 किलोग्राम प्रति कार्डधारी के बजाय 40 किलोग्राम की माँग की और उसके परिवार के सदस्यों के साथ उन लोगों ने मारपीट और लूट की घटना की। फलस्वरुप अपीलकर्त्ता के द्वारा एकमा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी। अपीलकर्त्ता ने यह भी कहा है कि उक्त आपराधिक वारदात में जन वितरण प्रणाली से संबंधित अभिलेखों को नष्ट कर दिया गया और इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उन्हें कतिपय लोगों ने दुश्मनी के कारण परेशान करने की नीयत से फंसा दिया है।

मूल अभिलेख के अनुशीलन से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता के विरुद्ध कई बार जाँच होने और प्रत्येक जाँच में उनके विरुद्ध गंभीर आरोपों की पुष्टि होने के साक्ष्य हैं। प्रश्नगत आदेश जिन आरोपों पर आधारित है, उनके लिखित साक्ष्य भी अभिलेख में उपलब्ध हैं, जिसके खंडन के लिए अपीलकर्त्ता ने सात उपभोक्ताओं के शपथ-पत्र समर्पित किए हैं अपीलकर्त्ता का यह दलील कि अनुसूचित जाति का होने के कारण उसके विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं, पूर्णतः अविश्वसनीय है क्योंकि आरोप लगाने वाले उपभोक्ताओं में अनुसूचित जाति के अनेक उपभोक्ता हैं। यहाँ तक कि ग्राम पंचायत के मुखिया भी अनुसूचित जाति से आते हैं और उन्होंने भी आरोपों की पुष्टि की है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत को जन वितरण प्रणाली के अनुश्रवण की जिम्मेदारी दी गयी है। दर्ज की गयी प्राथमिकी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि यह मामला मूल रुप से अपीलकर्त्ता का निजी मामला है।

उपरोक्त परिस्थितियों में मुझे प्रश्नगत आदेश के साथ हस्तक्षेप करने का कोई वैधानिक औचित्य नहीं दिखता है और इसलिए अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

27/1/13

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा।

27/1/13

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक ______/विधि, दिनांक ______/

प्रतिलिपि - अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा को उनके पत्रांक 847/आपूर्ति दिनांक 7-8-12 द्वारा अभिलेख संख्या-12-77/11 मूल में प्राप्त को आदेश की प्रति के साथ मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं उक्त आदेश के आलोक में कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक - मूल अभिलेख सं०-12-77/2011

वरीय उपसमाहर्ता
प्रभारी विधि शाखा
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 268/विधि, दिनांक 4/2/2013

प्रतिलिपि - एन० आई० सी० पदाधिकारी, सारण, छपरा को ~~सूचनार्थ एवं उक्त आदेश को जिला के वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु~~ प्रेषित।

वरीय उपसमाहर्ता
प्रभारी विधि शाखा
04/02/13 सारण, छपरा।